280

388

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंड़ल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा जिला रीवा (म.प्र.)

विलोपित/विलोपित विलोपित/विलोपित

Rs-30/-

III/निग./सीधी/भू.रा./2017/1801

रमाशंकर पिता अवधराम ब्राम्हण उम्र 55 वर्ष पेशा खेती निवासी ग्राम मडवास उपतहसील मडवास तहसील मझौली जिला सीधी (म.प्र.)––आवेदक/निगरानीकर्ता

बनाम

1. मु.ब्रम्हाणी बेवा कृपाशंकर उम्र 50 वर्ष पेशा गृहकार्य,
2. सचिन पिता कृपाशंकर उम्र 30 वर्ष पेशा नौकरी

   दोनो निवासी ग्राम मड़वास तहसील मझौली जिला सीधी (म.प्र.)
3. म.प्र.शासन द्वारा राजस्व निरीक्षक मंड़ल मडवास तहसील मझौली जिला सीधी (म.प्र.) ––अनावेदकगण/गैर निगरानीकर्तागण

अधि० श्री रंजीत कुमार

निरा आ० पेश 03.6.17

क्लर्क आफ कोर्ट राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरूद्ध आदेश राजस्व निरीक्षक मंड़ल मडवास तहसील मझौली के राजस्व प्रकरण क्रमांक 13अ–12/2016–17 आदेश दिनांक 07.01.2017

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं.1959

मान्यवर,

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1. यह कि निगरानीसुदा भूमि आराजी नम्बर 787, 788, 922, उल्लेखित सभी भूमियां ग्राम मडवास पटवारी हल्का मडवास की है जो रमाशंकर के पिता अवधराम ब्राम्हण व अनावेदक ब्रम्हाणी बेवा कृपाशंकर के ससुर तथा अनावेदक क्र. 2 सचिन के बाबा के नाम पर सभी भूमियां थी जो उभयपक्ष को वारिसाना नामांतरण में उनके मरने के पश्चात प्राप्त हुई थी सामिल सरीक दोनो पक्ष काश्त करते थे किन्तु पूर्व में अनावेदक क्र.1 बेवा ब्रम्हाणी पति कृपाशंकर के मरने के बाद उक्त भूमि वारिसाना नामांतरण में अनावेदकगण को प्राप्त हुई तत्पश्चात गोपनीय ढंग से अनावेदकगण आवेदक के बिना सहमति से फर्जी तरीके से बटवारा हल्का पटवारी से सांट गांट करके करा लेने के पश्चात एक तरफा बिना सम्मन सूचना जानकारी उक्त भूमियों का सीमांकन अनावेदक क्र.1 के द्वारा तहसीलदार मडवास

(280)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक **III / निग0 / सीधी / भू–रा0** / 2017 / 1801   जिला–सीधी

रमाशंकर ब्रा0 / मु0 ब्रहमाणी

(1)	(2)	(3)
24.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अनूपदेव पाण्डेय उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, मण्डल मड़वास, तहसील मझौली के प्रकरण क्रमांक 13 / अ–12 / 2016–17 में पारित आदेश दिनांक 07.01.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 16.07.19 को कलेक्टर, जिला सीधी के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	